राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांकः एफ–9 / सा.प्र. / 179 / 2021 / 4022 दिनांक : 19.04.2021

1. समस्त विभागाध्यक्ष / ईकाई प्रभारी, शैक्षणिक / अशैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स / केन्द्र / केन्द्रीय पुस्तकालय / पोद्दार प्रबंध संस्थान / मुख्य आवासधिकारी, छात्र / छात्रा / समस्त आवासाधिकारी, रा.वि.वि.,
4. प्रबंधक राजस्थान विश्वविद्यालय अतिथिगृह / प्रबंधक देराश्री सदन, रा.वि.वि., जयपुर।
5. विश्वविद्यालय अभियंता / इंचार्ज उद्यान विभाग, राज.वि.वि., जयपुर।
6. प्रभारी विश्वविद्यालय डिस्पेंसरी, राज.वि.वि., जयपुर।
7. सुरक्षा अधिकारी, राज.वि.वि., जयपुर।
8. मैसर्स प्रहलाद नारायण, सफाई ठेकेदार
9. समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय परिसर, राज.वि.वि., जयपुर।

विषयः– प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 18.04.2021 के क्रम में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 18.04.2021 के द्वारा कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19.04. 20212 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 03.05.2021 सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक 'जन अनुशासन पखवाडा' मनाया जायेगा जिसमें सभी कार्यस्थल एवं बाजार बन्द रहेंगे इसकी निरन्तरता में दिनांक 19.04.2021 प्रातः 11 बजे कुलपति महोदय के संयोजन में उपर्युक्त संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए जिन निर्णयों को आज से प्रभावी माना जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1. उक्त अवधि में राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियाँ एवं परीक्षायें एवं शोध संबंधी इत्यादि सभी कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

2. **राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय के छात्रावासों को दिनांक 19.04.2021 से तुरंत प्रभाव से खाली किये जाने संबंधी समस्त विश्वविद्यालय के मुख्य आवासाधिकारी एवं आवासाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासों को तुरंत प्रभाव से (24 घंटों के भीतर) खाली करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। सभी छात्रावास आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।**

3. सुरक्षा अधिकारी / समस्त चिकित्सा अधिकारी / विश्वविद्यालय अभियन्ता / प्रभारी उद्यान, राजस्थान विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में पूर्व की भांति कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे एवं संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्यों का संचालन सुनिश्चित करेंगे तथा अपना मुख्यालय बिना उच्चाधिकारियों के आदेश के नहीं छोड़ेंगे। कोविड–19 के दिशा–निर्देशों की अनुपालना करेंगेः– मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग।

4. राजस्थान विश्वविद्यालय सफाई ठेकेदार को यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों, छात्रावासों, विभागों एवं

विश्वविद्यालय इकाइयों की सफाई संबंधी व्यवस्था उक्त अवधि में पूर्ण रूप से यथावत टेण्डर शर्तों के अनुसार कार्य सुनिश्चित करें।

5. विश्वविद्यालय की समस्त केंटीन एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों उक्त अवधि में पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।

6. विश्वविद्यालय अतिथिगृह को बाहरी अतिथियों हेतु पूर्णतया उक्त अवधि के दौरान बंद करने का निर्णय लिया गया है साथ ही प्रबंधक अतिथिगृह को यह निर्देशित किया जाता है कि अतिथिगृह में दैनन्दिन (Day to Day) कार्य अपने स्तर पर संपादित कराने की व्यवस्था करें।

7. उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रातःकालीन भ्रमण में आने वाले समस्त व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया जाये जिसके संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि झालाना डूंगरी एवं राजापार्क की तरफ वाले प्रवेश द्वार पूर्ण रूप से बंद करने के लिए विश्वविद्यालय अभियंता को निर्देशित किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से केवल विश्वविद्यालय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय आवासों में रहने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालय, विभाग, छात्रावास एवं इकाइयां सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करें।

8. उपरोक्त अवधि के दौरान परीक्षा संबंधी एवं अन्य कार्यों के लिए बाहर से आने वाले छात्रों एवं शिक्षकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही लेखा शाखा एवं प्रशासनिक भवन में भी आगन्तुकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संबंधित सुरक्षाकर्मी कड़ी निगरानी रखेंगे। यह सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. समस्त राजस्थान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना मुख्यालय बिना कुलपति महोदय एवं कुलसचिव के आदेश के बिना नहीं छोडे। इसके साथ ही यह भी निर्देशित है कि आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय हित में सेवाएँ पूर्व की भांति यथावत् ली जायेगी।

19/04/2021
(के.एम. दूडिया)
कुलसचिव

क्रमांकः एफ–9/सा.प्र./179/2021/4023–4122

दिनांक : 19.04.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, राज.वि.वि., जयपुर।
2. वित्त/परीक्षा नियंत्रक, राज.वि.वि., जयपुर।
3. निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।

(डॉ. एम.सी. गुप्ता)
उपकुलसचिव (सा.प्र)